फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

गैसर्स नीलदीप बनाम अनिता

प्रार्थना पत्र संख्या :- 45/23 /20 प्रा0 पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

[illegible]	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	15.5.24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा हाजिर। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता व अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की अविभाजित कृषि भूमि है। जिसका अप्रार्थीगण बेचान करने एवं विशेष भू भाग को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। अतः ग्राम कालवाड, पटवार क्षेत्र कालवाड, भू0अ0नि0क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड जिला जयपुर की भूमि खाता संख्या नया 301 पुराना 296 के खसरा नम्बर 585 रकबा 3.7180 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 3.7180 हैक्टेयर में मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् आदेश प्रदान किये जाये। दिनांक 02.04.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 21 की ओर से जवाब पेश किया जा चुका है जिसमें प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की प्रार्थना की, जो शामिल पत्रावली है। प्रार्थी / अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गयी। दौराने बहस जाहिर तथ्यों, पत्रावली मय रिकार्ड के अवलोकन से हम पाते हैं कि विवादित आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार हैं एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः वाद बहुलता को [illegible] एवं वाद की विषय-वस्तु को [illegible] प्रार्थना-पत्र के चरण संख्या-2 में उल्लेखित [illegible] उभयपक्षों को तापैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। फैसला आज दिनांक 15.5.24 .....को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्जनम्बर से कम हो।	

[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.12 10:40:21 IST
Reason: SelfAttested